

Seventeenth Loksabha

pan&gt;

**Title: Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022 (Bill Introduced)**

**THE MINISTER OF POWER AND MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI R.K. SINGH):** Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Energy Conservation Act, 2001.

**HON. CHAIRPERSON:** Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Energy Conservation Act, 2001.”

... (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** Shri Sougata Ray.

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** Sir, I oppose the introduction of the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2001. ... (*Interruptions*) This Bill only creates a top-heavy structure in the Bureau of Energy Efficiency. ... (*Interruptions*)... And in finding sources of alternative energy, this Bill is definitely not sufficient. ... (*Interruptions*). In India, we are still dependent on coal-fired energy. ... (*Interruptions*). So, this Bill has nothing to improve the introduction of green hydrogen, green ammonia and other non-fossil fuels. ... (*Interruptions*) That is why, I want a comprehensive Bill to come on this subject, and I oppose the introduction of this Bill. ... (*Interruptions*)

**माननीय सभापति :** श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

... (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** सर, नेशनल हेराल्ड का जो मुद्दा है।...  
(व्यवधान)

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्यगण, आपको उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। वे नेता हैं।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप सभी माननीय सांसदों को अपनी अपनी सीट्स पर जाने के लिए कहिए। फिर बिल के बारे में जो आपत्ति दर्ज करना है, वह दर्ज कीजिए।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** केवल बिल के बारे में बोलिए।

... (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** सर, नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को लेकर जो हो रहा है।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** नहीं, नहीं।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** श्री बैत्री बेहनन जी।

... (व्यवधान)

**श्री आर. के. सिंह:** माननीय सभापति महोदय, यह एक अमेंडमेंट बिल है।... (व्यवधान) इसमें जो प्रोविजन्स हैं, वे तीन-चार प्रोविजन्स हैं, जो कि बहुत ही सरल हैं।... (व्यवधान) पहला प्रोविजन है कि इसमें हम इनेब्लिंग प्रोविजन्स कर रहे हैं कि जो अभी फॉसिल फ्यूएल इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले हम लोग नॉन-फॉसिल फ्यूएल का रिप्लेसमेंट करें।... (व्यवधान) यह हमारी आत्मनिर्भरता का सवाल है।... (व्यवधान) यह हमारे देश को और आत्मनिर्भर बनाएगा।...

(व्यवधान) अभी हम बड़ी मात्रा में नैचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट करते हैं।... (व्यवधान) हम अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी से बनने वाले जो मैटेरियल्स हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, उससे उसको धीरे-धीरे रिप्लेस करेंगे तो हमारी इम्पोर्ट पर जो निर्भरता है, वह कम होगी।... (व्यवधान)

दूसरा, इससे अब हम कार्बन मार्केट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कार्बन मार्केट इंट्रोड्यूस करने का अर्थ यह होगा कि अब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएगा, उससे जो क्रेडिट मिलेगा, उसको दूसरे लोगों द्वारा खरीदने से हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का फाइनेंसिंग आसान होगा।... (व्यवधान) हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन है, वह भी आसान होगा। इससे हमारे पर्यावरण को लाभ होगा। हमारा अभी जो कार्बन डाई ऑक्साइड एमिशन है, वह भी कम होगा।... (व्यवधान)

तीसरा, हम यह भी कर रहे हैं, आज बड़ी-बड़ी रेजिडेन्शियल बिल्डिंग्स में 24 प्रतिशत ऊर्जा की खपत होती है, उसको हम लोग सस्टेनेबल बनाने के लिए इसमें प्रावधान कर रहे हैं। ... (व्यवधान) इसमें एनैब्लिंग प्रोविजन है कि उस बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी के उपकरण कैसे लगाए जाएं।... (व्यवधान) उससे भी हमारी बिजली की खपत कम होगी, बिजली का बिल कम होगा और एन्वायरन्मेंट को भी लाभ होगा।... (व्यवधान) इन सभी का इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों के माध्यम से ही होगा। ... (व्यवधान) हम अपने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी को बड़ा नहीं बना रहे हैं। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी है, वही रहेगा। हम उसके बोर्ड को बड़ा बना रहे हैं, ताकि उसके संचालन में और भी विभाग भागीदारी कर सकें।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुरःस्थापित करें।

... (व्यवधान)

**SHRI R.K. SINGH:** Sir, I introduce the Bill. ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: अब हम जीरो आवर लेते हैं। हमें बहुत मुश्किल से अवसर मिलता है। इसमें सभी माननीय सदस्य अपनी बात रखने के लिए इच्छुक रहते हैं।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप सब कृपया करके अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए, ताकि जीरो आवर के जो सबमिशन हैं, वे प्रस्तुत हो सकें। प्लीज़, आप सहयोग कीजिए। अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

**12.13 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.*

-

*The Lok Sabha reassembled at Fourteen of the Clock.*

*(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)*

... (व्यवधान)

**MATTERS UNDER RULE 377\***

**माननीय सभापति:** माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे बीस मिनट के अंदर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें।

...(व्यवधान)

**14.01½ hrs**

*At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Shri Dayanidhi Maran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*